न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 302 / 2023(जी.सी.एम.एस. 2023 / 430)

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. गमदूर सिंह पुत्र पिला सिंह जाति जटसिख निवासी रामगढसंगर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. चेत सिंह पुत्र श्याम सिंह जाति जटसिख निवासी रामगढसंगर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर। 3. पिला सिंह पुत्र श्याम सिंह जाति जटसिख निवासी रामगढसंगर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर। 4. विक्रमजीत सिंह पुत्र चेत सिंह जाति जटसिख निवासी रामगढसंगर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।	1. जसवीर सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी रामगढसंगर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. प्रेमपाल कौर पत्नी जगदेश सिंह जाति जटसिख निवासी रामगढसंगर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर। 3. महेन्द्र सिंह पुत्र बग्गा सिंह जाति जटसिख निवासी रामगढसंगर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर। 4. जग सिंह पुत्र बग्गा सिंह जाति जटसिख निवासी रामगढसंगर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर। 5. कुलविन्द्र कौर पत्नी सुखपाल सिंह जाति जटसिख निवासी रामगढसंगर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर। 6. गुरमेज सिंह पुत्र जगदेश सिंह जाति जटसिख निवासी रामगढसंगर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर। 7. जगदेश सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी रामगढसंगर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर। 8. जसनील सिंह पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी रामगढसंगर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर। 9. सुखविन्द्र सिंह पुत्र रिछपाल सिंह जाति जटसिख निवासी रामगढसंगर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर। 10. मनदीप कौर पत्नी सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी रामगढसंगर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर। 11. रचनदीप कौर पत्नी गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी रामगढसंगर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर। 12. सिमरजीत कौर पत्नी सुखमन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी रामगढसंगर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर। 13. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 09.11.2023

उपस्थित:1. श्री इन्द्रजीत सिंह वडिंग अधिवक्ता वादीगण

––निर्णय–– **दिनांक: 25.07.2024**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 8 डब्ल्यू, पटवार हल्का रामगढसंगर, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां की जमावंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 19/18 के मुरब्बा नम्बर 10, 21, 24, 25, 28, 48/12, 48/32 की कुल 13.473 हैक्टेयर, खाता संख्या 29/28 के मुरब्बा नम्बर 4, 5, 48/24, 48/27 की कुल 4.061 हैक्टेयर, खाता संख्या 30/29 के मुरब्बा नम्बर 4, 5, 48/26, 48/28 की कुल 4.061 हैक्टेयर, खाता संख्या 20/19 के मुरब्बा नम्बर 12 की कुल 1.430 हैक्टेयर, खाता संख्या 21/20 के मुरब्बा नम्बर 6, 12, 48/21 की कुल 4.996 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खातों की भूमि मुश्तर्का खाता में दर्ज है। काश्तकारों ने काश्त की सहूलियत से मौखिक बंटवारानामा किया हुआ है। प्रत्येक खातेदार का अपने-अपने हिस्सा के अनुसार अपनी-अपनी भूमि पर बंटवारानुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। मौखिक बंटवारानामा अनुसार वादीगण को चक 8 डब्ल्यू के खाता संख्या 19/18 के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 1 ता 20 सालम-सालम, किला नम्बर 21 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 22 ता 25 प्रत्येक 0.228 हैक्टेयर, 0.127 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 29/28 के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 3,4,7,8,13,14 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 17/1 की 0.076 हैक्टेयर, किला नम्बर 18 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 23 की 0.228 हैक्टेयर, 0.025 हैक्टेयर गै.मु.खा. कुल 2.100 हैक्टेयर भूमि एंव खाता संख्या 30/29 के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 1,5,10,11 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 16/1 की 0.076 हैक्टेयर, किला नम्बर 20 की 0.253

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

हैक्टेयर, किला नम्बर 21 की 0.228 हैक्टेयर, 0.025 हैक्टेयर गै.मु.खा. भूमि प्राप्त हुई है। इस प्रकार से उक्त वर्णित मुरब्बाजात के किलाजात पर वादीगण का कब्जा काश्त काफी समय से निरंतर, निर्बाध, शांतिपूर्वक चला आ रहा है, लेकिन वादी का उक्त रकबा संयुक्त खाता में अंकित होने के कारण वादी को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादीगण खाता विभाजन हेतु वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है। वादी दिनांक 03.11.2023 को प्रतिवादीगण से मिला व संयुक्त खाता की भूमि का हिस्सानुसार किलावाईज विभाजन करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 8 डब्ल्यू के खाता संख्या 19/18 के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 1 ता 20 सालम-सालम, किला नम्बर 21 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 22 ता 25 प्रत्येक 0.228 हैक्टेयर, 0.127 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 29/28 के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 3,4,7,8,13,14 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 17/1 की 0.076 हैक्टेयर, किला नम्बर 18 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 23 की 0.228 हैक्टेयर, 0.025 हैक्टेयर गै.मु.खा. कुल 2.100 हैक्टेयर भूमि एंव खाता संख्या 30/29 के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 1,5,10,11 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 16/1 की 0.076 हैक्टेयर, किला नम्बर 20 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 21 की 0.228 हैक्टेयर, 0.025 हैक्टेयर गै.मु.खा. भूमि का खाता व लगान वादीगण के नाम अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद विन्दू कायम नहीं किए गए। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र व काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण व प्रतिवादीगण राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि चक 8 डब्ल्यू, पटवार हल्का रामगढसंगर, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 19/18 के मुरब्बा नम्बर 10, 21, 24, 25, 28, 48/12, 48/32 की कुल 13.473 हैक्टेयर, खाता संख्या 29/28 के मुरब्बा नम्बर 4, 5, 48/24, 48/27 की कुल 4.061 हैक्टेयर, खाता संख्या 30/29 के मुरब्बा नम्बर 4, 5, 48/26, 48/28 की कुल 4.061 हैक्टेयर, खाता संख्या 20/19 के मुरब्बा नम्बर 12 की कुल 1.430 हैक्टेयर, खाता संख्या 21/20 के मुरब्बा नम्बर 6, 12, 48/21 की कुल 4.996 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वादीगण के हिस्से माफिक भूमि का वादीगण के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश चन्द्र गुप्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई खारिज किया गया।

4. बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस अधिवक्तागण, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार की जारी की जाती है कि चक 8 डब्ल्यू, पटवार हल्का रामगढसंगर, भू.अ.नि. क्षेत्र लाधियां की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 19/18 के मुरब्बा नम्बर 10, 21, 24, 25, 28, 48/12, 48/32 की कुल 13.473 हैक्टेयर, खाता संख्या 29/28 के मुरब्बा नम्बर 4, 5, 48/24, 48/27 की कुल 4.061 हैक्टेयर, खाता संख्या 30/29 के मुरब्बा नम्बर 4, 5, 48/26, 48/28 की कुल 4.061 हैक्टेयर, खाता संख्या 20/19 के मुरब्बा नम्बर 12 की कुल 1.430 हैक्टेयर, खाता संख्या 21/20 के मुरब्बा नम्बर 6, 12, 48/21 की कुल 4.996 हैक्टेयर भूमि मे वादीगण के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है

क्र.स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रूपया मे
1	गमदूर सिंह पुत्र पिला सिंह जाति	8	4	1,3,4	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.30
	जटसिख निवासी रामगढसंगर	डब्ल्यू		7,8,10,11	1.012 हैक्टेयर	नहरी	8.40
	तहसील श्री करणपुर जिला			13,14,15	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.30
	श्रीगंगानगर।(1.651 हैक्टेयर)			16/1	0.076 हैक्टेयर	नहरी	0.63
	चेत सिंह पुत्र श्याम सिंह जाति			17/1	0.076 हैक्टेयर	नहरी	0.63
	जटसिख निवासी रामगढसंगर			18,20	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.20
	तहसील श्री करणपुर जिला			21	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
	श्रीगंगानगर।(3.615 हैक्टेयर)			23	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
	पिला सिंह पुत्र श्याम सिंह जाति		48/24		0.025 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
	जटसिख निवासी रामगढसंगर		48/26		0.025 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
	तहसील श्री करणपुर जिला		25	1 ता 20	5.060 हैक्टेयर	नहरी	42.00
	श्रीगंगानगर।(4.373 हैक्टेयर)			21	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.88
	विक्रमजीत सिंह पुत्र चेत सिंह जाति			22	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
	जटसिख निवासी रामगढसंगर			23	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
	तहसील श्री करणपुर जिला			24	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
	श्रीगंगानगर।(0.380 हैक्टेयर)			25	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
			48/12		0.127 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

गमदूर सिंह आदि बनाम तरसेम सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 53, 88, 91 आरटीए मुकदमा नम्बर 302/2023

निर्णय दिनांक :- 25.07.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल बराई सहायक उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह बडिंग के** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि राजस्व ग्राम 8 डब्ल्यू, पटवार हल्का रामगढसंगर, भू अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 19/18 के मुरब्बा नम्बर 10, 21, 24, 25, 28, 48/12, 48/32 की कुल 13.473 हैक्टेयर, खाता संख्या 29/28 के मुरब्बा नम्बर 4, 5, 48/24, 48/27 की कुल 4.061 हैक्टेयर, खाता संख्या 30/29 के मुरब्बा नम्बर 4, 5, 48/26, 48/28 की कुल 4.061 हैक्टेयर, खाता संख्या 20/19 के मुरब्बा नम्बर 12 की कुल 1.430 हैक्टेयर, खाता संख्या 21/20 के मुरब्बा नम्बर 6, 12, 48/21 की कुल 4.996 हैक्टेयर भूमि में वादीगण के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपया पै.
1	गमदूर सिंह पुत्र पिला सिंह जाति जटसिख निवासी रामगढसंगर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।(1.651 हैक्टेयर)	8 डब्ल्यू	4	1,3,4	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.30
				7,8,10,11	1.012 हैक्टेयर	नहरी	8.40
				13,14,15	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.30
				16/1	0.076 हैक्टेयर	नहरी	0.63
				17/1	0.076 हैक्टेयर	नहरी	0.63
	चेत सिंह पुत्र श्याम सिंह जाति जटसिख निवासी रामगढसंगर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।(3.615 हैक्टेयर)			18,20	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.20
				21	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				23	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
			48/24		0.025 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
			48/26		0.025 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
	पिला सिंह पुत्र श्याम सिंह जाति जटसिख निवासी रामगढसंगर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।(4.373 हैक्टेयर)		25	1 ता 20	5.060 हैक्टेयर	नहरी	42.00
				21	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.88
				22	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				23	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
	विक्रमजीत सिंह पुत्र चेत सिंह जाति जटसिख निवासी रामगढसंगर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।(0.380 हैक्टेयर)			24	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				25	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
			48/12		0.127 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे।

आज दिनांक 30.07.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

(राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	1000	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	1004	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

दिनांकः 30.07.202

क्रमांकः रीडर/ 2024/433

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पाल
पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अ
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)